

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-02/2014 72

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,  
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (यांत्रिक) राँची;

संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 14-7-14

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड-49P470180800540543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

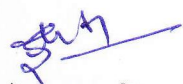
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष                                  | लघु शीर्ष/उप शीर्ष                                 | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड                                                    | कुल आवंटन (लाख रु. में) |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2                                                                      | 3                                                  | 4                                                                           | 5                       |
| 1.   | 49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य/ | 800-अन्य व्यय/ 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम० | 05-निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) 49P470180800540543 | 4.533                   |

आवंटित राशि - ₹ चार लाख तिरेपन हजार तीन सौ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2014-2015 के बजट उपबंध रु. 1000.00 लाख (दस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

  
(श्वेता कुमारी)  
सहायक अभियंता

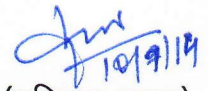
  
(एम०एस० चौरसिया)  
उप सचिव (अभि.)

  
(सुनील कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

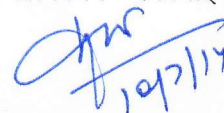
  
(अविनाश कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 72

रॉची, दिनांक :- 14-7-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त

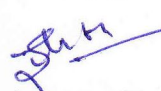
  
(अविनाश कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 72

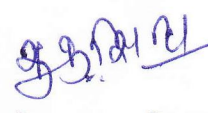
रॉची, दिनांक :- 14-7-14

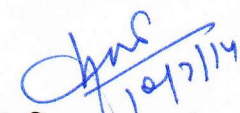
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(श्वेता कुमारी)  
सहायक अभियंता

  
(एम०एस० चौरसिया)  
उप सचिव (अभि.)

  
(सुनील कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(अविनाश कुमार)  
सचिव

विभागीय पत्रांक.....72

दिनांक 14-7-19

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय।

उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०

विरतुत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)

विपत्र कोड- 49P470180800540543

वित्तीय वर्ष 14-15 में बजट उपबंध ₹ 1000.00 लाख (रु दस करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र.                                             | प्रमंडल का नाम                | मुख्य अभियंता | योजना का नाम    | प्रशासनिक स्वीकृति की |             | मार्च 2014 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन |               |             | On-line Allotment Access No. | अभ्युक्ति                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                               |               |                 | राशि                  | प्रसंग      |                       | पूर्व का आवंटन                 | वर्तमान आवंटन | आवंटित राशि |                              |                                                                                                                                                         |
| 1                                                | 2                             | 3             | 4               | 5                     | 6           | 7                     | 8                              | 9             | 10          | 11                           | 12                                                                                                                                                      |
| 1                                                | सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, सैयी | यांत्रिक      | कॉची वीयर योजना | 4019.950              | 26/27.11.12 | 1420.000              | 0.000                          | 4.533         | 4.533       | 41991                        | कॉची वीयर योजना के मुख्य नहर के आद्राडीह, ब्राण्डा, परायडीह एवं टेरियाडीह पर दो-दो अदर सी०आर० गेटों, उत्तोलन प्रणाली आदि का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य |
| योग                                              |                               |               |                 |                       |             |                       | 0.000                          | 4.533         | 4.533       |                              |                                                                                                                                                         |
| आवंटित राशि - ₹ चार लाख तिरपन हजार तीन सौ मात्र। |                               |               |                 |                       |             |                       |                                |               |             |                              |                                                                                                                                                         |

(श्वेता कुमारी)  
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव, (अभि.)

(सुनील कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव, (अभि.)

(अविनाश कुमार)  
सचिव